

अध्याय-II

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्साकॉम लिमिटेड द्वारा शोयर किया गया राजस्व

2.1 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्साकॉम लिमिटेड का संक्षिप्त परिचय

भारती एयरटेल लिमिटेड (बी ए एल), जो पूर्व में भारती टेलीवेंचर लिमिटेड (बी टी बी एल) से जानी जाती थी, पहली प्राइवेट दूरसंचार कम्पनियों में से एक थी जिसे नवम्बर 1994 में सेलुलर सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिये गये थे (तत्कालीन इकाई “भारती सेलुलर लिमिटेड” को लाइसेंस जारी किया गया था)। जनवरी 2000 तक बी ए एल के पास केवल दो सी एम टी एस लाइसेंस थे। वर्ष 2004 तक सभी 23 एल एस ए में लाइसेंसों के साथ कम्पनी की अखिल भारतीय उपस्थिति थी। बी ए एल अखिल भारतीय सी एम टी एस/यू ए एस लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी एस पी) था। कम्पनी का टर्न ओवर भी लगातार बढ़ा। बी ए एल ने 2006 से भारतीय प्राइवेट दूरसंचार क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाये रखी।

2.1.1 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्साकॉम लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस

बी ए एल को नवम्बर 1994¹ में दिल्ली के मेट्रो लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल एस ए) तथा बाद में दिसम्बर 1995 में हिमाचल प्रदेश एल एस ए के लिये सेलुलर सेवायें प्रदान करने हेतु लाइसेंस दिये गये थे।

बी ए एल ने आगे निम्न वर्णित सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किये:

तालिका 2.1

अवधि	प्राप्त लाइसेंस का विवरण
1999-2002	तीन कंपनियों ² के अधिग्रहण द्वारा पांच सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस
2001	आठ ³ सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस
2004	चाहू ⁴ सेवा क्षेत्रों में यू ए एस एल लाइसेंस

बी ए एल की सहायक कम्पनी मैसर्स भारती हैक्साकॉम लिमिटेड (बी एच एल) ने 2004 में पूर्वोत्तर और राजस्थान सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किये। इस प्रकार वर्ष 2004 तक समस्त 23 एल एस ए में लाइसेंसों के साथ बी ए एल/बी एच एल की अखिल भारतीय उपस्थिति थी।

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, बी ए एल और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्राप्त अन्य लाइसेंस का विवरण निम्नवत् दिया गया है:

¹ लाइसेंस पूर्व इकाई जिसका उस समय नाम “भारतीय सेलुलर लिमिटेड” था को जारी किया गया था।

² जे टी मोबाइल (पंजाब, ऐ पी, कर्नाटक), स्काई सेल (वैन्डौ) एवं स्पाइस सेल (कोलकाता)

³ उ प्र (पश्चिम), महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, केरल, मुम्बई, म प्र, व तमिलनाडु

⁴ उडीसा, जे एण्ड के, बिहार, उ प्र (पूर्व), पश्चिम बंगाल व असम

तालिका 2.2

क्रमांक	सेवाएं	टिप्पणी
1	एन एल डी	भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया।
2	आई एल डी	भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया।
3	आई एस पी-आई टी	भारती बी टी इंटरनेट लिमिटेड जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया।
4	वी सैट	मेसर्स विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया। लाइसेंस की समाप्ति पर, सितम्बर 2014 में यह यू एल में परिवर्तित किया गया।
5	आई एस पी	मैसर्स भारती एक्वानेट लिमिटेड (बी ए क्यू एल) जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया। लाइसेंस की समाप्ति पर, मार्च 2014 से इसे यू एल में परिवर्तित कर दिया गया था।

2.1.2 बी ए एल/बी एच एल को आवंटित स्पैकट्रम

बी ए एल/बी एच एल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी एस एम) आपरेटर हैं। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 900, 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज बैण्ड में मेन रेडियो स्पैकट्रम, माइक्रोवेव एक्सेस और बैकबोन स्पैकट्रम का एल एस ए अनुसार विवरण निम्नवत् था:

तालिका 2.3

क्र.सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	आवंटित मुख्य रेडियो स्पैकट्रम (मेगाहर्ट्ज)	माइक्रोवेव एक्सेस स्पैकट्रम	माइक्रोवेव बैकबोन स्पैकट्रम
			(मेगाहर्ट्ज में) ⁵	
1	आंध्र प्रदेश	23.80	224	56
2	असम	12.45	112	112
3	बिहार	14.20	168	112
4	तमिलनाडु (चैन्सई सहित)	19.20	336	112
5	दिल्ली	18.00	336	112
6	गुजरात	6.20	224	112
7	हरियाणा	6.20	168	56
8	हिमाचल प्रदेश	21.40	112	112
9	जम्मू और कश्मीर	13.80	112	112
10	कर्नाटक	23.80	280	56

⁵ एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

11	केरल	11.20	224	56
12	कोलकाता	12.00	280	0
13	मध्य प्रदेश	12.00	224	56
14	महाराष्ट्र	8.20	280	112
15	मुम्बई	25.20	448	0
16	ओडिशा	13.00	112	112
17	पंजाब	16.00	180	56
18	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7.20	180	112
19	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	11.20	224	56
20	पश्चिम बंगाल	15.60	112	112
21	नार्थ ईस्ट	18.20	112	56
22	राजस्थान	21.40	224	56

उपरोक्त के अतिरिक्त 2010 में हुई नीलामी प्रक्रिया के द्वारा कम्पनी ने चार एल ए नामतः कर्नाटक, कोलकाता, महाराष्ट्र और पंजाब में 20 मेगाहर्ट्ज बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम (2300 मेगाहर्ट्ज बैण्ड में) प्राप्त किये।

2.1.3 बी ए एल/बी एच एल द्वारा बताया गया सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा भुगतान किया गया राजस्व शेयर

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन के आधार पर ए जी आर की एक निश्चित प्रतिशतता पर लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार तिमाही आधार पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है। बी ए एल/बी एच एल द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बताया गया सकल राजस्व, कटौतियां, समायोजित सकल राजस्व और राजस्व शेयर (एल एफ और एस यू सी) निम्नलिखित हैं:-

तालिका 2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्राहक आधार (करोड़ में)	जी आर	कटौतिया	ए जी आर	ए जी आर का जी आर से प्रतिशत	भुगतान किया गया राजस्व शेयर
						(एल एफ+एस यू सी)
2010-11	16.70	48,923	14,962	33,961	69.42%	3,674
2011-12	18.60	53,910	16,860	37,050	68.73%	4,723
2012-13	19.29	60,400	20,730	39,670	65.68%	4,830
2013-14	21.03	66,902	22,010	44,892	67.10%	5,631
2014-15	23.10	73,296	20,807	52,489	71.61%	6,471
कुल		3,03,431	95,369	2,08,062		25,329

2.2 बी ए एल/बी एच एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, व्यय इत्यादि की सम्बन्धित मद के बिना किसी समायोजन के, जी आर, इसमें बताये गये सभी प्रकार के राजस्व सहित होगा, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल एवं छूट/रिबेट के विवरण को अलग दिखाया जायेगा।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 11

बी ए एल/बी एच एल के अभिलेखों/बही खातों (वाउचर, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ-हानि लेखो, बैलेंस शीट आदि) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस अनुबन्ध के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसे आगे के पैराओं में लाया गया है:

2.2.1 प्री पेड सेवाओं के लिये डीलर्स/ग्राहकों के कमीशन/ऑफर/ डिस्कांट से सम्बन्धित राजस्व को निवलीकरण करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री पेड सेवाओं से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की जाँच से यह पाया गया कि-

- प्री-प्रेड सेवाओं से संबंधित राजस्व से वितरकों/एजेन्टों को दिये गये मार्जिन/कमीशन का निवलीकरण (नेट आफ) किया गया था।
- ग्राहकों को दिए गए प्रस्ताव अर्थात् ग्राहकों को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), ग्राहकों कों फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी) कूपन/कार्ड्स/सिम, ग्राहकों को प्रोत्साहन ऑफर, ग्राहकों को फुल टॉक टाइम ऑफर, ग्राहकों को दिए गए समायोजन ऑफर, आदि को प्री पेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व से समायोजित कर दिया गया था।

मदवार विवरण निम्नवत प्रस्तुत हैं-

अ) मार्जिन/कमीशन

बी ए एल/बी एच एल, चैनल बिक्री पार्टनर/एजेन्टस/फ्रेंचाईजी/डीलर्स/वितरक आदि के माध्यम से प्री पेड सेगमेंट में अनेक उत्पाद/सेवाओं की बिक्री करती है जिसके लिये उन्हे मार्जिन/कमीशन का भुगतान होता है। ऐसे मार्जिन/कमीशन आदि लाइसेंसी के लिए खर्च की प्रकृति का होता है।

बी ए एल/बी एच एल के वित्तीय वर्ष 2010-11 में 2014-15 के लिए लेखो और ओरेकल फाइनेंशियल से प्राप्त सम्बन्धित सार की समीक्षा में यह पाया गया कि वितरकों/फ्रेंचाईजी/एजेन्टो/डीलर्स को भुगतान की गयी ₹ 5579.23 करोड़ की कमीशन/मार्जिन की राशि प्री पेड सेवाओं के राजस्व शीर्ष को डेबिट की गयी थी जो प्री-पेड राजस्व के निवलीकरण में परिणत हुई। यह उनके द्वारा कंट्रोलर आफ कम्प्यूनिकेशन एकाऊंट (सी सी ए)/डिपार्टमेंट आफ टेलीकॉम (डी ओ टी) को प्रस्तुत किये गये ए जी आर विवरणों में लिये गये वास्तविक राजस्व की कमी में परिणत हुआ। चूंकि वितरकों/फ्रेंचाईजी/एजेन्टो/डीलर्स को भुगतान किये गये मार्जिन/कमीशन की प्रकृति खर्च की है, राजस्व के साथ ऐसे खर्च का निवलीकरण लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5579.23 करोड़ (**अनुलग्नक-2.01**) के जी आर की कम रिपोर्टिंग हुई।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि –

- कम्पनी व वितरकों के मध्य संबंध, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के आधार पर था और तदनुसार वितरकों से राशि प्राप्त होने पर कम्पनी को ऐसे वितरकों के साथ लेन-देन का लेखांकन उसी प्रकार करना आवश्यक था।
- टीडीसैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में कहा है कि “हमारे विचार में ‘सकल राजस्व’ की परिभाषा से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि लाइसेंस धारक को सेवा के

लिये थोक मूल्य को इसके एम आर पी से कम निर्धारण करने से रोका जा सके। कसौटी यह है कि वास्तविक लेन-देन कैसे हुआ है। यदि बिक्री व बीजक एम आर पी पर हैं तथा कोई छूट अलग से दी गई है, तो क्लाज 19.1 के अनुसार लाभ व हानि खाते में ऐसी छूट कटौती योग्य नहीं है चाहें वह लाभ व हानि खाते में कटौती के निवलीकरण के बाद दर्ज राजस्व है। दूसरी तरफ, यदि बिक्री नियत/सहमत मूल्य पर होती है, बिल उस सहमत मूल्य पर बनाया गया है और तदनुसार लाभ व हानि लेखे में राजस्व के अन्तर्गत किसी प्रकार की छूट को घटाये बिना दर्ज है, तो वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व होगा एवं एम आर पी व इसके बिक्री मूल्य में अंतर “सकल राजस्व” में नहीं जोड़ा जा सकता है”।

- लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गयी मार्जिन में से प्राथमिक कमीशन में दिखायी गयी कान्ट्रा प्रविष्टियों की राशि ₹ 0.96 करोड़ को हटाया जाना आवश्यक है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि-

- बी ए एल अंततः सेवायें प्रदान कर रहा है और यदि बी ए एल द्वारा कार्ड्स सीधे ग्राहक को बेचे गये होते तो प्रदान की गयी सेवा के पूरे मूल्य के लिए राजस्व को लेखाबद्ध किया जा सकता था और बिक्री खर्चों को व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जा सकता था। इसी समानता पर वितरकों को दी गयी छूट/कमीशन बाजार खर्च की प्रकृति की होगी और इस प्रकार राजस्व से घटायी नहीं जानी चाहिए। यह क्लाज 19.1 की शर्त के अनुसार है। पुनः लेखापरीक्षा का मत है कि यह लेन-देन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि अन्ततः ग्राहकों को सेवा प्रदान करने का दायित्व वितरकों का न होकर बी ए एल/बी एच एल का है।
- जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि वितरकों/फ्रैंचाइजी/डीलर्स को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन बाजार खर्चों की प्रकृति का है, और इस प्रकार राजस्व के साथ ऐसे खर्चों का समायोजन लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था।
- आगे ₹ 0.96 करोड़ की कान्ट्रा प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनरल लेजर के साथ-साथ जनरल वाउचर स्पष्टतः दर्शाता है कि कथित प्रविष्टियां प्राथमिक कमीशन की वापसी की प्रविष्टियां न होकर “राजस्व प्रविष्टियां जनवरी-13” हैं।

इस प्रकार प्री-पेड सेवाओं से कमीशन/मार्जिन की ₹ 5579.23 करोड़ राशि के निवलीकरण की परिणति जी आर/ए जी आर के कम दिखाने और भारत सरकार को लाइसेंस फीस व स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार के क्रमशः ₹ 462.01 करोड़ और ₹ 312.85 करोड़ कम भुगतान के रूप में हुई (अनुलग्नक-2.01)।

ब) ग्राहको/डीलर्स को ऑफर/छूट/रिबेट

बी ए एल/बी एच एल अपने ग्राहको/डीलर्स को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), प्रोत्साहन ऑफर, फुल टॉक टॉइम (एफ टी टी) आदि का प्रस्ताव देता है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए जी एल के सार की समीक्षा और ओरेकल फाइनेंशियल से प्राप्त जनरल वाउचरों (जेवी) के सत्यापन से पता चला कि ग्राहकों को दिये गये प्रोत्साहन ऑफर (एफ ए टी, प्रोमो/प्रमोशनल ऑफर, एफ टी टी, आई एन समायोजन, अन्य एअर टाइम समायोजन, अग्रिम हिट आदि विवरण के अन्तर्गत) के मूल्य

2017 की प्रतिवेदन संख्या 11

₹ 2385.35 करोड़ की राशि को जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था। क्योंकि ग्राहकों को फ्री एअर टाइम जैसे ऑफर, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक सम्पूर्ण वाणिज्यिक युक्ति का भाग है, इसलिये ऐसे ऑफर/छूट/रिबेट की कीमत खर्च की प्रकृति की थी। इसके अतिरिक्त लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार सेवा राजस्व को बिना किसी समायोजन के सकल के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्री-पेड राजस्व से एफ ए टी/एफ टी/प्रोमो आदि की कटौती की परिणति वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में एल एफ/एस यू सी के उददेश्य से, ₹ 2385.35 करोड़ के कम राजस्व की रिपोर्टिंग के रूप में हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:-

- कम्पनी अनेक प्रमोशनल और सम्बन्ध बनाने वाली योजनाएं ऑफर करती है जिसमें ग्राहकों को बिना अतिरिक्त प्रभार के अतिरिक्त टॉक टाइम प्रदान किया जाता था और ये अतिरिक्त टॉक टाइम टैरिफ में अन्तर्निहित होता था जो कि ग्राहकों को इसे खरीदते समय पता होता था। एफ ए टी, योजनाबद्ध छूट की प्रकृति का, और ट्राई को प्रस्तुत किये गये टैरिफ प्लान का भाग था। यह ग्राहकों को अग्रिम में दिया जाता था और ऐसी अभिकल्पित राशि लाइसेंस फीस का विषय नहीं हो सकती है। आगे, ए एस-9 के अनुसार “राजस्व, नकद का सकल अन्तः प्रवाह है, यह उद्यमी की सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री, सेवाओं के प्रदान करने से उत्पन्न प्राप्य योग्य अथवा प्रतिफल है, और
- डी ओ टी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में मत रखा कि “ट्राई में दी गयी मूल्य सूची में दर्शायी गयी सभी छूट हटाई गयी है” जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश (अगस्त 2011) में अभिलेखित थी। इस सम्बन्ध में टी डी सेट के अप्रैल 2015 के निर्णय को भी उद्धृत किया गया था।
- लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गयी एफ ए टी/एफ टी/प्रोमो ऑफर में से, जी एल कोड 3132005 में ₹ 20.60 करोड़ की राशि के समायोजन/आंशिक प्राविष्टियों पर विचार/समायोजन किया जाना आवश्यक है।

कम्पनी के उत्तर के सत्यापन के बाद, एफ ए टी/एफ टी/प्रोमो ऑफर आदि पर कम बताये गये राजस्व को संशोधित कर ₹ 2364.74 करोड़ कर दिया गया है। जहाँ तक अन्य मामले हैं, प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि-

- प्रबन्धन ने स्वीकार किया है कि ये प्रमोशनल और सम्बन्ध बनाने वाली योजनाएं हैं जिसमें ग्राहकों को अतिरिक्त टॉक टाइम प्रदान किया जाता है। क्योंकि यह व्ययसाय को बढ़ाने की सम्पूर्ण वाणिज्यिक युक्ति का भाग थी, इसलिए ये खर्च की प्रकृति की थी और लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार खर्च की सम्बन्धित मदों के लिए समायोजन अनुमत्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, टैरिफ के अनुसार प्रस्तावित एफ ए टी/एफ टी/प्रोमो आदि तथा जो ग्राहकों/ऐजेटों को प्रोत्साहन के रूप में प्रस्तावित किये गये, का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा ए एस-9 के अनुसार लेखाकान का प्रश्न नहीं उठा रहा है बल्कि यह मत रखता है कि एअर टाइम निःशुल्क वस्तु नहीं है, यह एक मूलभूत मूल्य रखती थी और एफ ए टी/एफ टी/प्रोमो ऑफर देकर, लाइसेंसधारक इनको खर्च के रूप में दर्ज करने बजाय राजस्व को छोड़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी से बचा जा रहा है।

- जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि जी आर से एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर आदि के कारण प्री-पेड राजस्व का निवलीकरण लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार, प्री-पेड सेवाओं से ₹ 2364.74 करोड़ की राशि के ऑफर/एफ टी टी/एफ ए टी आदि के निवलीकरण का परिणाम, जी आर/ए जी आर को कम दिखाने और भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 195.17 करोड़ और ₹ 133.33 करोड़, कम भुगतान के रूप में फलित हुआ (अनुलग्नक-2.02)।

2.2.2 पोस्ट-पेड अभिदाताओं को प्रदान की गयी छूटों के निवलीकरण के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये कम्पनी के ए जी आर विवरण और वित्तीय विवरण के बीच राजस्व के समाधान विवरण की जाँच से यह पाया गया कि ए जी आर ज्ञात करने लिए पोस्ट पेड सेवाओं से संबंधित “वेवर आन अकाउन्ट आफ गुडविल जेसचर” के व्यय शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किये गये ₹ 243.43 करोड़, जी आर से आरम्भ में ही घटाये गये थे।

लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, जी आर की परिभाषा में, किसी सम्बन्धित खर्च के निवलीकरण के बिना सेवाओं से प्राप्त समस्त राजस्व सम्मिलित है। इस प्रकार जी आर से “वेवर आन अकाउन्ट आफ गुडविल जेसचर” को घटाना लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) गया कि गुडविल की माफी (₹ 243.34 करोड़) ग्राहक को बनाये रखने के लिए डिस्काउंट की प्रकृति का ऑफर था और क्योंकि कम्पनी द्वारा बिना किसी धन प्राप्ति के ये लाभ ग्राहकों को दिये गये थे इसलिए ऐसी माफी/छूट को राजस्व से निवलीकरण किया जाना चाहिए ताकि राजस्व को वास्तविक प्राप्त मूल्य से प्रतिबंधित किया जा सके।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबन्ध के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणी की तैयारी के मानकों के अनुसार सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि), सकल दर्शाया जायेगा तथा डिस्काउंट/रिबेट के विवरण पृथक निर्दिष्ट किये जायेंगे। यह इंगित करता है कि सेवा राजस्व सकल में दर्शाया जाना चाहिये। तथापि वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करते समय प्रबन्धन ने डिस्काउंट/रिबेट का निवलीकरण किया जो कि लाइसेंस अनुबन्ध के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन ने स्वीकार किया है कि गुडविल माफी ग्राहक बनाए रखने के लिए दी गई छूट की प्रकृति की थीं। चूंकि यह व्यवसाय को बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का एक भाग था, इसलिए वे खर्चों की प्रकृति के थे और लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार खर्चों से सम्बन्धित मदों के लिये समायोजन अनुमत्य नहीं था। अतः इन्हें वापस जी आर में जोड़ा जाना चाहिए।

इस प्रकार पोस्ट-पेड अभिदाताओं के संदर्भ में ₹ 243.34 करोड़ की राशि की माफी का निवलीकरण जी आर/ए जी आर कम बताये जाने तथा भारत सरकार को एल एफ तथा एस यू सी के क्रमशः ₹ 20.01 करोड़ और ₹ 8.39 करोड़ के कम भुगतान में परिणीत हुआ (अनलग्नक-2.03)।

2.2.3 अन्य आपरेटरों को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर आपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट को समायोजित करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वाल्यूम डिस्काउंट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यापार जो कि बहु इकाईयों अथवा अधिक मात्रा में सामान/सेवा खरीदते हैं, के लिये एक वित्तीय प्रोत्साहन है। दूरसंचार परिदृश्य में, प्रचालकों के मध्य रोमिंग अनुबन्ध, जहाँ एक विशेष सेवा प्रदाता के ग्राहकों द्वारा “सेलर्स” नेटवर्क का थोक में उपयोग किया जाता है, छूट देने के लिए प्रावधान करते हैं। छूट की परस्पर अनुमति प्रोत्साहन के शुद्ध भुगतान के रूप में परिणित होती है।

रोमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिये बी ए एल एवं बी एच एल के अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ अनुबन्ध हैं और रोमिंग अनुबन्ध, बी ए एल/बी एच एल नेटवर्क के थोक प्रयोग के लिए वॉल्यूम डिस्काउंट प्रदान करते हैं। बी ए एल/बी एच एल के ओरेकल फाइनेशियल से प्राप्त डाटा सार की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में इन आपरेटरों को भुगतान की गई इंटर आपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट, राजस्व शीर्षों को डेबिट की गयी/से घटायी गयी थी।

अन्य ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था, दो आपरेटरों के मध्य आपसी अनुबन्ध का मामला था और दो आपरेटरों के मध्य व्यवसाय बढ़ोतरी के लिए वाणिज्यिक रणनीति का भाग था। इस प्रकार, ये छूट खर्चों की प्रकृति की थी और इसलिये लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार इनको राजस्व से घटाया नहीं जाना चाहिए था।

बी ए एल/बी एच एल से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में ₹ 467.77 करोड़ की राशि रोमिंग राजस्व को डेबिट की गयी थी जो कि लाइसेंस अनुबन्ध का उल्लंघन था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि:-

- अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग लेन-देन, सहमत वॉल्यूम आधारित छूट की प्रकृति के थे। अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग राजस्व, व्यवसाय द्वारा अंगीकृत समझौतों के आधार पर प्राप्त किया जाता था। आगे, ऑपरेटर वॉल्यूम डिस्काउंट पर आधारित किसी भी प्रकार की कार्यपद्धति पर उनके मध्य प्रदान किए जाने वाले ट्रैफिक के वॉल्यूम पर सहमत होते हैं। यह व्यापार/वॉल्यूम छूट की प्रकृति का है तथा इसे खर्चों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
- इंडियन अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड ए एस-9 के अनुसार “दी गयी व्यापार छूट और वॉल्यूम रिवेट राजस्व निर्धारण करने में घटायी जानी चाहिए”। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड आई ए एस-18 के अनुसार ”लेन-देन से उत्पन्न राजस्व, साधारणतः इकाई और खरीदार या उपयोगकर्ता के मध्य निर्धारित होता है जो व्यापार छूट की राशि और वॉल्यूम डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त या प्राप्त योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर आगणित किया जाता है।

प्रबन्धन द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि-

- सहमत प्रभारों से ऊपर छूट, व्यवसाय में बढ़ोतरी की समग्र वाणिज्यिक रणनीति की भाग थी और इस प्रकार ये छूट खर्चों की प्रकृति की थी।

- आगे, जैसा कि प्रबन्धन ने ए एस-9/आई ए एस-18 के अनुसार राजस्व को मान्य किये जाने के सम्बन्ध में कहा है, लेखापरीक्षा कम्पनी द्वारा लेखांकन की अपनायी गयी पद्धति को चुनौती नहीं दे रहा है लेकिन लाइसेंस फीस के उद्देश्य से लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित खर्चों को समायोजित किये बिना राजस्व को “सकल” में लिया जाना है।

इस प्रकार, इंटरनेशनल रोमिंग प्रचालकों के सम्बन्ध में ₹467.77 करोड़ की आई ओ टी छूट का निवलीकरण जी आर/ए जी आर में कमी और एल एफ और एस यू सी के क्रमशः ₹40.32 करोड़ और ₹26.86 करोड़ के कम भुगतान में परिणित हुआ (अनुलग्नक 2.04)।

2.2.4 बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये अन्य दूरसंचार आपरेटरों से अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जी आर में, बिना किसी खर्चे इत्यादि की सम्बन्धित मद का समायोजन किये, अवसंरचना की अनुमन्य शेयरिंग से प्राप्त राजस्व और अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा।

बी ए एल/बी एच एल के स्वामित्व वाले दूरसंचार अवसंरचना (टावर, नेटवर्क उपकरण आदि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ साझा किये जा रहे थे। बी ए एल/बी एच एल ने अवसंरचना (सेल साइट) के साझा के लिये अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ अनुबंध किये। अन्य ऑपरेटरों के साथ हुए समझौतों के अनुसार, अन्य ऑपरेटरों से वसूली योग्य साइट शेयरिंग प्रभार, साइटों की केपेक्स⁶ कीमत के एक प्रतिशत और बी ए एल/बी एच एल द्वारा खर्च की गयी ओपेक्स⁷ कीमत पर आधारित थे। कैपेक्स राजस्व में रूम/शेल्टर, एअर कण्डीशनिंग, डीजल जनरेटर सेट, ए एम एफ पैनल, ए सी/डी सी पावर प्लाट, ट्रांसमिशन रैक, स्टैबिलाइजर, बैटरी, अन्य इलेक्ट्रिकल टावर्स आदि की वसूली सम्मिलित है और ओपेक्स की कीमत में आवर्ती प्रकृति के खर्चे जैसे ईधन, सुरक्षा, पावर आदि सम्मिलित हैं।

बी ए एल/बी एच एल के वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये लेखों की समीक्षा से पाया गया कि अवसंरचना शेयरिंग के कारण किराया राजस्व का एक भाग जबकि अवसंरचना शेयरिंग के लिए संचालित राजस्व शीर्षों में दर्ज किया गया था, किराया राजस्व का कुछ भाग ईधन, पावर, अनुरक्षण, सुरक्षा आदि सम्बन्धी राजस्व सहित, सम्बन्धित व्यय शीर्षों से निवलीकृत किया गया था। इसका जी आर/ए जी आर पर विपरीत प्रभाव था, क्योंकि अन्य दूरसंचार आपरेटरों से प्राप्त/प्राप्त योग्य साइट शेयरिंग राजस्व के रूप में ₹ 246.44 करोड़ की राशि को व्यय खाता कोड में क्रेडिट किया गया था। लाइसेंस अनुबंध, राजस्व से सम्बन्धित खर्चों के किसी समायोजन के लिए प्रावधान नहीं करता है। चूंकि यह अवसंरचना शेयरिंग का राजस्व है इसलिए इस राशि को एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिए जी आर/ए जी आर में लिया जाना चाहिए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि-

- “साइट शेयरिंग के लिए प्रतिफल” के दो तत्व हैं-

⁶ पूँजीगत खर्चे

⁷ संचालन खर्चे

- (क) ओपेक्स प्रतिपूर्ति- वाणिज्यिक पावर, ईधन (डीजल), सुरक्षा और ए एम सी, जो व्यय किये गये वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की प्रकृति के थे, सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट किये गये थे।
- (ख) कैपेक्स वसूली- यह राशि जो कि किराये की प्रकृति की थी, भारती एयरटेल ने “इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग इनकम” के अन्तर्गत ली थी और यह घटक, एल एफ के अन्तर्गत है और इस आय पर कम्पनी एल एफ का विधिवत भुगतान कर रही थी।
- टी डी सेट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा कि “सुविधा के उपयोग हेतु किया गया भुगतान राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए था और खर्च की प्रतिपूर्ति की प्रकृति का भुगतान तथा जो बीजक में अलग से दर्शाया गया है, को राजस्व के रूप में नहीं लिया जा सकता बशर्ते कि यह लाभ एवं हानि खाते में राजस्व के रूप में दर्ज न किया गया हो”।

निम्नलिखित कारणों से प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है:

- लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जी आर में, व्यय की सम्बन्धित मद का समायोजन किये बिना, अवसंरचना के अनुमत्य शेयरिंग से प्राप्त राजस्व विशेष रूप से सम्मिलित होते हैं और लाइसेंस अनुबन्ध अवसंरचना के शेयरिंग के कारण कैपेक्स और ओपेक्स राजस्व के मध्य भेद नहीं करता है। अतः खर्चों के विरुद्ध अवसंरचना शेयरिंग से राजस्व का समायोजन अनुमत्य नहीं है।
- आगे लाइसेंस अनुबन्ध केवल तीन अनुमत्य कटौतियों की अनुमति देता है और ऐसी कोई कटौतियां (अर्थात अवसंरचना शेयरिंग की कीमत की प्रतिपूर्ति के कारण) अनुमत्य नहीं थीं।
- जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि खर्चों के विरुद्ध अवसंरचना शेयरिंग से राजस्व का समायोजन, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।
- लेखापरीक्षा का मत है कि ईधन खर्च, सुरक्षा खर्च, मरम्मत व अनुरक्षण खर्च एवं विद्युत प्रभार से राजस्व प्रतिपूर्ति नहीं था क्योंकि वे खर्च किये ही जाने थे चाहें टावर शेयर किये गये थे या नहीं। वास्तव में, खर्चों की शेयरिंग से, कम्पनी अतिरिक्त आय से लाभान्वित हुयी थी।

इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान लागत से अन्य दूरसंचार आपरेटरों से प्राप्त/प्राप्त योग्य साइट शेयरिंग राजस्व का समायोजन, ₹ 246.44 करोड़ की जी आर/ए जी आर में कमी तथा बी ए एल/बी एच एल द्वारा भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 19.75 करोड़ और ₹ 13.23 करोड़ के कम भुगतान में परिणित हुआ (अनुलग्नक-2.05)।

2.2.5 बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये फोरेक्स लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, जी आर में कोई भी अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा। बी ए एल/बी एच एल के वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के जी एल की समीक्षा में पाया गया कि ₹ 528.31 करोड़ की राशि को फोरेक्स लेन-देन पर प्राप्त लाभ के रूप में दर्ज किया गया था (अनुलग्नक-2.06)। तथापि ए जी आर के लिए समाधान/मैपिंग के सत्यापन से पता चला कि फोरेक्स

पर अर्जित राजस्व को डी ओ टी को भुगतान किये जाने वाले राजस्व शेयर के उद्देश्य से, जी आर/ए जी आर में सम्मिलित नहीं किया गया था।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ओरेकल फाइनैंशियल पद्धति से प्राप्त की गई रिपोर्ट से निकाले गये डाटा से उपर्युक्त प्राप्त लाभ की गणना, उस विशेष मद के वास्तविक लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करती क्योंकि कम्पनी प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि शीर्ष के अन्तर्गत शामिल सभी मदों के मूल्य को पुनः आगणित करती है तथा परिपक्व मदे प्राप्त लाभों के अन्तर्गत लेखांकित की जाती हैं और अपरिपक्व मदे अप्राप्त लाभ के अन्तर्गत रहती हैं। इस प्रकार, उस वर्ष में एक विशेष मद का प्राप्त लाभ, मध्यवर्ती अवधि के दौरान उस मद के लाभ/हानि का, अप्राप्त मद में लेखांकन के कारण वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा, प्रत्येक मद के मौलिक मूल्य के न मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभ के अन्तर्गत लेखांकित मदों के वास्तविक मूल्य को ज्ञात नहीं कर सका। आपरेटरों को प्रत्येक मद के लाभ की इसके प्रारम्भिक मूल्य के लेखांकन के सन्दर्भ में गणना करनी चाहिए और कुल फोरेक्स लाभ को जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना चाहिए।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि:

- कम्पनी अपने विदेशी मुद्रा दायित्वों को, लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर दर्ज करती है और माह के अन्त में ए एस-11 के अनुसार लागू विनिमय दर पर पुनः लेखित करती है। ऐसा पुनः लेखन, लाभ या हानि में परिणीत होता है और दायित्वों की अदायगी के समय, कम्पनी सांकेतिक लाभ या हानि को पुनः वापस लेखित करती है तथा ऐसी प्राप्त लाभ या हानि को दर्ज करती है।
- **फोरेक्स लाभ राजस्व नहीं था:** राजस्व की पहचान पर एकाउटिंग स्टैण्डर्ड 9 के अनुसार, विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, विशिष्ट रूप से राजस्व की परिभाषा से हटाया गया है।
- **फोरेक्स लाभ सांकेतिक था:** प्राप्त किया गया फोरेक्स कुछ नहीं अपितु एक समग्र व्यवसायिक जोखिम था जो प्रत्येक कम्पनी विदेशी मुद्रा लेन-देन में मान लेती है। दायित्वों/ऋणों में कमी/वृद्धि के कारण ऐसे सांकेतिक लाभ/हानि को, प्रचालन से राजस्व नहीं माना जा सकता है और जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।
- **फोरेक्स लाभ व हानि परिवर्तनशील व ज्ञात करने योग्य नहीं थी:** राजस्व आधार (ए जी आर) की परिभाषा पर ट्राई की दिनांक 6 जनवरी 2015 की सिफारिशों कहती हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय के उत्तार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न राजस्व/लाभ, एल एफ व एस यू सी की गणना के उद्देश्य से ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये। टीडीसैट (अगस्त 2007) का भी फोरेक्स लाभ/हानि पर मत, ट्राई से भिन्न नहीं था।
- **दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं:** सांकेतिक विदेशी मुद्रा विनिमय उत्तार-चढ़ाव आकस्मिक था जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यवसाय पर था तथा दूरसंचार व्यवसाय के लिये विशेष व अनोखा नहीं था। ए जी आर मामले में, ट्राई की दिनांक 13 सितम्बर 2006 की सिफारिशों के अनुसार फोरेक्स दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था।
- कम्पनी ने टी डी सेट के निर्णय (अगस्त 2007) के अनुपालन में ए जी आर विवरणी तैयार की थी और तदनुसार फोरेक्स लाभ को सकल राजस्व में सम्मिलित नहीं किया।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 11

- ए जी आर की परिभाषा पर ट्राई की दिनांक 6 जनवरी 2015 की सिफारिशों कहती है कि विदेशी मुद्रा विनिमय के उत्तार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न राजस्व/लाभ, ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिए।
- जबकि लेखापरीक्षा द्वारा पहले दौर के लेखापरीक्षा के दौरान फोरेक्स के तिमाही लाभ पर विचार किया गया था, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान फोरेक्स के उत्तार-चढ़ावों के सभी लाभों को विचार में लिया जा चुका है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, जी आर में कोई भी अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा और लेखापरीक्षा का मत है कि पी एस पी को कोई भी प्रासंगिक लाभ, जी आर में लिया जाना चाहिए।
- कम्पनी लेखांकन के लिये व्यापारिक तरीके अपना रही है तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार “लाभ/हानि” की गणना, सभी उपार्जित प्राप्तियों तथा व्यय को लेखे में लेने व दो भिन्न तारीखों के मध्य व्यापार सम्पत्तियों का मिलान करने के बाद की जानी है। लेखांकन के व्यापारिक तरीके में, विनिमय भिन्नताओं के परिणामस्वरूप फोरेक्स लाभ (राजस्व)/हानि (व्यय) तार्किक है तथा इसे आकस्मिक/सांकेतिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्त लाभ पर ही विचार किया है।
- बी ए एल/बी एच एल द्वारा अपनाई गयी लेखांकन पद्धति के अनुसार भी भुगतान अथवा दायित्वों के परिवर्तन से उत्पन्न परिणामी विदेशी मुद्रा विनिमय भिन्नताये, उसी वर्ष में आय या व्यय मानी जाती हैं, जिस वर्ष में वे उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त कम्पनी अपने वित्तीय विवरण में विनियम भिन्नताओं (शुद्ध आधार पर) को रिपोर्ट कर रही थी।
- उत्तर में संदर्भित टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 और ट्राई की दिनांक 13 सितम्बर 2006 की सिफारिशों की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2011 जिसमें कहा गया है कि “ट्राई तथा द्रिब्युनल को लाइसेंस अनुबन्ध में ए जी आर की परिभाषा की वैधता पर निर्णय करने और राजस्व की कुछ मदों को हटाने, जो लाइसेंस प्रदान करने वाले और लाइसेंसधारी के मध्य लाइसेंस अनुबन्ध में ए जी आर की परिभाषा में सम्मिलित थे, को हटाने का कोई अधिकार नहीं है”, के आलोक में कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेखापरीक्षा का मत है कि फोरेक्स लाभ, दूरसंचार आपरेटरों हेतु दूरसंचार गतिविधियों के लिए प्रासंगिक है।
- ट्राई की दिनांक 6 जनवरी 2015 की सिफारिशों जो उत्तर में संदर्भित है, को डी ओ टी ने अन्ततः स्वीकार नहीं किया है।
- व्यक्तिगत लेन-देनों से उत्पन्न फोरेक्स लाभ/हानि को मिलाया नहीं जा सकता है। आगे, व्यक्तिगत अनुबन्धों की क्रियाविधि के आधार पर फोरेक्स लाभ/हानि में परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार हानि को निवलीकृत नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को सम्मिलित न किया जाना, जी आर/ए जी आर को ₹ 528.31 करोड़ कम दर्शाये जाने में परिणित हुआ।

परिणामस्वरूप, बी ए एल/बी एच एल द्वारा एल एफ व एस यू सी की क्रमशः ₹ 42.65 करोड़ और ₹ 22.25 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया था (अनुलग्नक-2.06)।

2.2.6 जी आर/ए जी आर के लिये ब्याज आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार राजस्व, शेयर के भुगतान के उद्देश्य से ब्याज के रूप में राजस्व, जी आर में सम्मिलित होगा। बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के डाटा/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि बी ए एल/बी एच एल के लेखों में लेखांकित ब्याज आय को जी आर/ए जी आर के उद्देश्य से नहीं लिया गया था।

बी ए एल/बी एच एल के लेखों में, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान लीज/बाण्ड/अनिवेश पर ब्याज से आय के ₹ 193.32 करोड़ लेखांकित किये गये थे तथा अनुषंगियों/सहायक कम्पनियों/जेवी/सम्बन्धित पार्टियों को प्रदान किये गये ऋण एवं अग्रिमों से ब्याज के ₹ 395.32 करोड़ लेखांकित किये गये थे। यद्यपि लाइसेंस अनुबन्ध में लाइसेंस फीस के उद्देश्य से ब्याज की आय को जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करने का प्रावधान है किन्तु बी ए एल/बी एच एल ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अर्जित की गयी ब्याज की आय को जी आर/ए जी आर में नहीं लिया था।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2016) कि:

- केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न आय पर ही लाइसेंस फीस भुगतान योग्य है और कारपोरेट कार्यालय के खातों में सम्मिलित आय कम्पनी द्वारा अधिशेष निधि/उधार निधि के परिनियोजन से अर्जित की गयी थी जिस पर पहले ही लाइसेंस फीस का भुगतान किया जा चुका था।
- कम्पनी ने टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय के प्रभाव में ए जी आर विवरणी तैयार की हैं और डी ओ टी से प्राप्त मांग का केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में विरोध किया था तथा मामला अपील में माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित था।
- बी एच एल द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज आय-प्राप्त ब्याज (जी एल कोड 3418012) का ₹ 3.91 करोड़ का ब्याज ए जी आर में लिया गया है और डेबिट/कान्ट्रा/समायोजन की ₹ 0.12 करोड़ की प्रविष्टियां (जी एल कोड 341802) को अनदेखा किया जाना चाहिए क्योंकि ये समायोजन प्रविष्टियां हैं।
- अन्य कार्पोरेट कोड अर्थात् बी यू कोड 192 व 201 से सम्बन्धित ₹ 1.12 करोड़ के अभिशेष विचारित नहीं किये गये।

कम्पनी के उत्तर के सत्यापन के उपरान्त लीज/बाण्ड/अनिवेश पर ब्याज की कम दिखायी गयी आय, बी एच एल द्वारा ए जी आर में लिये गये ₹ 3.91 करोड़ और ₹ 0.12 करोड़ की कान्ट्रा प्रविष्टियों को हटाने के पश्चात् संशोधित करके ₹ 189.29 करोड़ कर दी गयी है। सहायक कम्पनियों/एसोसिएट्स कम्पनियों/जेवी/संबंधित पार्टियों को दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों के ब्याज की कम दर्शायी गई राशि भी संशोधित करके ₹ 394.20 करोड़ कर दी गयी है। जहां तक अन्य मामले हैं, प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:-

- राजस्व शेयर की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में ब्याज आय को सम्मिलित करने हेतु लाइसेंस अनुबन्ध में जी आर की परिभाषा स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है।

- माननीय उच्चतम न्यायाल के निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के बाद टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, ब्याज को जी आर में सम्मिलित न किया जाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित ब्याज आय को सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर, ₹ 583.49 करोड़ कम दर्शाया गया है। ब्याज आय को जी आर/ए जी आर में न लेने का प्रभाव, एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 47.13 करोड़ और ₹ 25.50 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ (अनुलग्नक-2.07 एवं 2.08)।

2.2.7 ग्लोबल आपरेशनस (बी आई एल जी ओ) के अन्तर्गत लेखांकित राजस्व को जी आर/ए जी आर में न लेना

भारती एयरटेल लिमिटेड ने बी आई एल जी ओ ब्रांड नाम से यू एस ए में अपनी शाखा स्थापित की थी जो कि ट्रैफिक के केंद्र वाहक एवं बी ए एल (आई एल डी डिविजन) और पूरे विश्व में स्थित विभिन्न विदेशी आपरेटरों के मध्य द्विपक्षीय अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक की अदला-बदली करती है। बी आई एल जी ओ स्विच, बाहरी ट्रैफिक जो यू एस ए में अन्य ऑपरेटरों से उत्पन्न होता है, को विश्व में कहीं भी पहुंचाने के लिए बी ए एल-आई एल डी नेटवर्क को हस्तान्तरित करता है जिसके लिए बी आई एल जी ओ विदेशी दूरसंचार आपरेटरों को जारी किये गये बिलों की राशि का पांच प्रतिशत अपने पास रखता है तथा 95 प्रतिशत बी ए एल-आई एल डी को स्थानान्तरित करता है। यू एस ए में समाप्त होने वाले काल ट्रैफिक के लिए – बी आई एल जी ओ स्विच बी ए एल - आई एल डी से काल ट्रैफिक को हैंडिल करता है और उसे यू एस ए में अन्य आपरेटरों को हस्तान्तरित करता है। इस सेवा के लिए बी आई एल जी ओ, बी ए एल-आई एल डी को बी आई एल जी ओ द्वारा विदेशी आपरेटरों को भुगतान योग्य राशि के 105 प्रतिशत की दर से चार्ज करता है तथा पांच प्रतिशत अपने पास रखता है।

बी ए एल, बी आई एल जी ओ के अन्तर्गत ग्लोबल आपरेशन से सम्बन्धित आय/व्यय के लेखांकन के लिए एक अलग ट्रायल बैलेंस बनाता है। ट्रायल बैलेंस में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में दर्ज किये गये सेवा राजस्व/एक्सेस प्रभार निम्न थे:

तालिका 2.5

वर्ष	कुल सेवा राजस्व	कुल एक्सेस प्रभार	(₹ करोड़ में)
			एक्सेस प्रभार (मार्जिन) के ऊपर अधिक राजस्व
2010-11	464.89	442.00	22.89
2011-12	679.33	645.84	33.49
2012-13	841.06	799.57	41.48
2013-14	1089.55	1035.90	53.65
2014-15	890.04	846.32	43.72
कुल	3964.87	3769.63	195.23

बी आई एल जी ओ, बी ए एल द्वारा अपने आई एल डी ट्रैफिक के प्रबंधन हेतु बनाई गई मात्र एक तकनीकी व्यवस्था थी तथा यह बी ए एल था जिसने भारतीय प्राधिकारियों से आई एल डी लाइसेंस प्राप्त किया था, इसलिए बी आई एल जी ओ के खातों में दर्ज लेन-देन, बी ए एल के आई एल डी नेटवर्क के टेलीफोन ट्रैफिक का भाग थे और बी ए एल के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित थे। क्योंकि

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार जी आर की परिभाषा में, व्यय की सम्बन्धित मद का समंजन किये बिना लाइसेंसधारक को उपार्जित समस्त राजस्व, सम्मिलित है इसलिए बी आई एल जी ओ की सेवाओं से उपार्जित ₹ 195.23 करोड़ का राजस्व बी ए एल के आई एल डी ए जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि-

- बी आई एल जी ओ को यू एस में बी ए एल द्वारा स्थापित किया गया था और यू एस ए के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन द्वारा जारी कम्युनिकेशन एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त किया गया था जो ट्रैफिक के केन्द्र वाहक एवं भारती एअरटेल और पूरे विश्व में स्थित विभिन्न विदेशी आपरेटरों के मध्य द्विपक्षीय अनुबन्धों से उत्पन्न ट्रैफिक की अदला-बदली करता है।
- बी आई एल जी ओ, गेटवे स्टेशन (प्वाइंट ऑफ प्रिंजेंस) के रूप में विदेशी जमीन (यू एस ए) पर संचालित हो रहा था जिसके लिए लाइसेंस/अनुमति यू एस ए प्राधिकारियों से प्राप्त की गयी थी न कि भारतीय प्राधिकारियों से और इसकी यू एस कर व नियामक परिदृश्य में अलग पहचान थी।
- बी आई एल जी ओ द्वारा रोकी जाने वाली पांच प्रतिशत की राशि, यू एस ए के कर व नियामक कानूनों के अनुसार कर योग्य थी। इसलिए बी आई एल जी ओ के खातों में दर्ज राजस्व और एक्सेस प्रभार, एल एफ के लिए जी आर/ए जी आर में नहीं लिये जाने चाहिए क्योंकि लाइसेंस/अनुमति यू एस ए प्राधिकारियों से ली गई थी।
- ए जी आर मामले में टीडी सैट का दिनांक 23 अप्रैल 2015 का निर्णय कहता है कि “राजस्व, यू एस ए में परिचालित लाइसेंस से उत्पन्न होता है न कि डी ओ टी द्वारा जारी किये गये लाइसेंस से और इस प्रकार यह राजस्व तब तक ए जी आर का भाग नहीं होगा जब तक डी ओ टी यह स्थापित नहीं कर देता कि यू एस ए और भारत के मध्य कम्पनी के परिचालन हेतु तकनीकी, प्रबन्धकीय और वित्तीय अंतर्गतित अन्तःसम्बन्ध हैं।”
- कम्पनी ने डी ओ टी से प्राप्त मांग का केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में विरोध किया था और यह माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील में लम्बित था।

प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- बी आई एल जी ओ की स्थापना, बी ए एल द्वारा अपने आई एल डी ट्रैफिक के प्रबन्धन के लिए मात्र एक तकनीकी व्यवस्था के रूप में की गयी और बी ए एल द्वारा भारतीय प्राधिकारियों से आई एल डी लाइसेंस प्राप्त किया गया था। बी ए एल, बी आई एल जी ओ के नाम से दूरसंचार सेवाएँ प्रदान कर रहा था और यह अलग विधिक इकाई नहीं थी। यहां तक कि बी आई एल जी ओ के लेखों में दर्ज लेन-देन, बी ए एल के आई एल डी नेटवर्क के टेलीफोन ट्रैफिक के भाग थे और बी ए एल के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हैं। यह भी उल्लेख करना उचित है कि बी ए एल ने बी आई एल जी ओ के ट्रायल बैलेंस में बुक एक्सेस प्रभारों को आई एल डी लाइसेंस के अन्तर्गत राजस्व शेयर हेतु प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त जी आर की परिभाषा के अनुसार व्यय की सम्बन्धित मद का समंजन किये

बिना समस्त उपार्जित राजस्व इसमें सम्मिलित होगा। इस प्रकार बी आई एल जी ओ का राजस्व जी आर में शामिल होना चाहिए।

- लेखापरीक्षा, यू एस ए में कर और नियामक कानूनों के अनुसार बी आई एल जी ओ द्वारा रखी गयी पांच प्रतिशत की राशि पर कर देयता का विवाद नहीं करता बल्कि प्रतिवाद यह है कि चूंकि यह बी ए एल की आय को दर्शाता है इसलिए यह आई एल डी लाइसेंस के अन्तर्गत शेयर योग्य राजस्व का भाग होना चाहिए।
- जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय/केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन था, लेखापरीक्षा का मत है कि बी आई एल जी ओ के राजस्व को जी आर में न लेना लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था।

तदनुसार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान बी ए एल का आई एल डी ए जी आर ₹ 195.23 करोड़ से कम दिखाया गया जो कि बी ए एल के आई एल डी लाइसेंस हेतु एल एफ की गणना के लिए वापस ए जी आर में जोड़ा जाना चाहिए। बी आई एल जी ओ के राजस्व को जी आर/ए जी आर में न लेने का प्रभाव ₹ 13.97 करोड़ की लाइसेंस फीस के कम भुगतान के रूप में हुआ (अनुलग्नक-2.09)।

2.2.8 बी ए एल/बी एच एल द्वारा लाभांश आय को जी आर/ए जी आर में न लेना

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार सभी सेवा राजस्व, विविध राजस्व और लाभांश सहित अन्य आय, व्यय आदि की सम्बन्धित मद को समायोजित किये बिना, सकल राजस्व में सम्मिलित होगा। जी एल की समीक्षा से पता चला कि बी ए एल की सहायक और अन्य निवेश से लाभांश के रूप में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान प्राप्त आय ₹ 2265.08 करोड़ की थी। इसे लाइसेंस फीस के उद्देश्य से सम्बन्धित वर्षों में जी आर में शामिल नहीं किया गया था जो कि लाइसेंस अनुबन्ध का उल्लंघन है।

इसी प्रकार वर्ष 2010-11 के दौरान बी एच एल द्वारा प्राप्त और लेखाकित ₹ 0.43 करोड़ की लाभांश आय को एल एफ के उद्देश्य से जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था।

इस प्रकार यद्यपि कि लाइसेंस अनुबन्ध में स्पष्ट है कि लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त लाभांश आय को जी आर/ए जी आर में लिया जायेगा, ₹ 2265.51 करोड़ की प्राप्त लाभांश आय को एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिए जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- लाभांश आय किसी लाइसेंस गतिविधि पर आरोपित नहीं हो सकती और लाइसेंस गतिविधि से संग्रहीत आय का भाग नहीं होती है क्योंकि कारपोरेट आय (लाभांश), कोष क्रिया से उत्पन्न होती है जो कि लाइसेंस सेवाओं से अलग और भिन्न गतिविधि है और किसी विशेष सेवा क्षेत्र जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, से संबंधित करने योग्य नहीं है। एल एफ केवल उस आय पर भुगतान योग्य है जो उन गतिविधियों से उत्पन्न होती है जिसके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है और यह एल एफ को दो बार प्रभारित करने का मामला है क्योंकि आय, अधिशेष निधि

के निवेश पर संग्रहीत है जो लाइसेंस राजस्व से उत्पन्न हुई है जिस पर पहले ही एल एफ का भुगतान किया जा चुका है।

- कम्पनी ने ए जी आर की गणना के लिए राजस्व के घटकों पर टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 के अनुसार ए जी आर के विवरणी तैयार किये थे और तदनुसार कम्पनी ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के वर्षों के लिए लाभांश आय को नहीं लिया था। कम्पनी ने डी ओ टी से प्राप्त डिमाण्ड का केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में विरोध किया था और यह माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील में लम्बित है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबन्ध जी आर/ए जी आर में ब्याज, लाभांश और कोई अन्य विविध राजस्व को शामिल करने के लिए स्पष्टतया निर्धारित करता है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2011 से टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय खारिज हो गया था और जबकि मामला केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाभांश को जी आर में शामिल न करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये, लाभांश आय को शामिल न करने से जी आर/ए जी आर ₹ 2265.51 करोड़ से कम दिखाया गया। लाभांश आय को जी आर/ए जी आर में न लेने का प्रभाव एल एफ और एस यू सी के क्रमशः ₹ 181.67 करोड़ और ₹ 98.98 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ (अनुलग्नक-2.10)।

2.2.9 निवेश की बिक्री से आय को ए जी आर में न लेना

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की गयी समस्त सेवाओं पर ब्याज, लाभांश आदि सहित संग्रहीत राजस्व और कोई अन्य विविध राजस्व, व्यय आदि की सम्बन्धित मद को समायोजित किये बिना, सकल राजस्व में शामिल होगा। पुनः राजस्व और लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरणी) के विवरण की मद संख्या 4 जो कि यू ए एस एल अनुबंध का एक अनिवार्य भाग है, “निवेश से आय” को प्रदर्शित करता है।

बी ए एल/बी एच एल के वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए खातों और ओरेकल फाइनेशियल से प्राप्त डाटा सार की समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि कम्पनी ने निवेश की बिक्री से प्राप्त ₹ 4636.34 करोड़ की आय को अपने खातों में दर्ज किया था किन्तु इसे जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था जिसकी परिणति सरकार को भुगतान योग्य राजस्व शेयर के कम भुगतान के रूप में हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- कारपोरेट आय, कोष आय से उत्पन्न हुई है जो कम्पनी की लाइसेंस गतिविधियों से अलग और भिन्न थी और ए जी आर का भाग नहीं है। कोष आय को किसी विशेष सेवा क्षेत्र पर आरोपित नहीं किया जा सकता और चूंकि कारपोरेट आय अधिशेष निधि के निवेश पर उपार्जित थी जो

लाइसेंस राजस्व से प्रचालन की कीमत के निवलीकरण के बाद उत्पन्न हुई जिस पर एल एफ का पहले ही भुगतान किया जा चुका था।

- टी डी सैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा कि “एक कम्पनी में निवेश का लाभ तब तक ए जी आर का भाग नहीं हो सकता जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि उसकी भागीदारी कम्पनी के स्टॉक इन ट्रेड में थी”। क्योंकि कम्पनी, शेयर और स्टॉक ट्रेडिंग के व्यवसाय में नहीं है इसलिए यह एल एफ और डब्ल्यू पी सी का विषय नहीं होगा। ए जी आर विवरणी, टी डी सैट के ए जी आर घटकों पर अगस्त 2007 के निर्णय के अनुपालन में तैयार की गई थी और इस पर डी ओ टी से प्राप्त मांग का केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में विरोध किया गया है।
- बी ए एल और बी एच एल (कान्ट्रा और डेबिट-क्रेडिट के समायोजन के बाद) के लिए निवेश की बिक्री से सम्बन्धित अन्तिम राशि क्रमशः ₹ 4056.62 करोड़ और ₹ 552.45 करोड़ वित्तीय विवरणी में बतायी गयी है।

कम्पनी के उत्तर के सत्यापन के बाद, निवेशों की बिक्री से कम बतायी गयी आय को संशोधित कर ₹ 4609.07 करोड़ (₹ 4056.62 करोड़-बी ए एल और ₹ 552.45 करोड़-बी एच एल) किया गया। जहां तक अन्य मामले हैं, प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबन्ध में जी आर/ए जी आर के लिए “निवेश से आय” को शामिल किये जाने का प्रावधान है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2011 में टीडी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय को खारिज कर दिया है। जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय/केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि “निवेश से आय” को जी आर में न लेना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार बी ए एल/बी एच एल ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए निवेश की बिक्री से आय के ₹ 4609.07 करोड़ को जी आर/ए जी आर में नहीं लिया था। निवेशों की बिक्री से आय को जी आर/ए जी आर में न लेने का प्रभाव एल एफ और एस यू सी के क्रमशः ₹ 368.95 करोड़ और ₹ 205.76 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ (अनुलग्नक-2.11)।

2.2.10 बी ए एल द्वारा एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर के लिए विविध आय पर विचार नहीं किया जाना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व में सम्बन्धित मदों में किये गये खर्च इत्यादि को घटाये बिना ब्याज के मद में राजस्व, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व शामिल किये जायेंगे। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये ए जी आर विवरणी एवं डाटा/अभिलेखों के अवलोकन में यह पाया गया कि वर्ष वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विविध आय में शामिल किये गये अन्य आय को ए जी आर के लिए आंशिक रूप से शामिल किया गया। विविध आय यथा, अवसंरचना नेटवर्क शेयरिंग, कबाड़ की बिक्री, प्रबंधन सहायता सेवा, विविध प्राप्ति /आय, ब्लैकबेरी की बिक्री के लाभ का अंश, लीज किराया इत्यादि की राशि ₹ 403.98 करोड़ (बी ए एल- ₹ 392.86 करोड़ एवं बी एच एल- ₹ 11.12 करोड़) को एल एफ के भुगतान हेतु शामिल नहीं किया गया।

प्रबंधन द्वारा उत्तर दिया (सितम्बर 2016) गया कि:

- विविध आय में कबाड़ की बिक्री, प्रबंधन सहायता सेवा एवं वापस किया गया दायित्व शामिल है। यह पूँजीगत प्राप्ति की प्रकृति का है तथा इसे सामान्य व्यापारिक सम्बन्धहार में राजस्व नहीं कहा जा सकता है। यह गैर-लाइसेंस क्रिया कलाप से अर्जित आय है।
- कम्पनी ने टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार ए जी आर विवरण तैयार किया है।
- कम्पनी ने केरल एवं त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष डी ओ टी से प्राप्त माँग का विरोध किया है तथा यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किये गये अपील में लंबित है।
- ए जी आर के लिये विविध आय की ₹ 9.06 करोड़ की राशि को लिया गया है, ₹ 403.98 करोड़ में वापस लिखा गया दायित्व, सेनेट की वापसी का लेखांकन एवं कान्ट्रा/समायोजन लेखांकन से सम्बन्धित ₹ 12.90 करोड़ की राशि को शामिल किया गया है जिसको अलग करने की आवश्यकता है।

कम्पनी के उत्तर के सत्यापन के बाद, विविध आय की राशि को संशोधित कर ₹ 382.02 करोड़ कर दिया गया है। जहाँ तक अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि-

- राजस्व शेयर की गणना के लिए लाइसेंस अनुबंध यह प्राविधानित करता है कि जी आर में विविध आय शामिल किये जाने चाहिए।
- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा टीडीसैट के अगस्त 2007 के निर्णय को खारिज कर दिया गया (अक्टूबर 2011)।
- जबकि केरल एवं त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में मामला न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि जी आर में विविध आय को शामिल नहीं किया जाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

विविध आय की ₹ 382.02 करोड़ की राशि को जी आर/ए जी आर में शामिल न करने के परिणामस्वरूप एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 30.48 करोड़ तथा ₹ 10.46 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 2.12)।

2.2.11 राजस्व अंश के भुगतान हेतु बी ए एल द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ की आय को ए जी आर में शामिल नहीं करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व से संबंधित मदों में किये गये खर्च इत्यादि को घटाये बिना ब्याज के मद में राजस्व, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व शामिल किये जायेंगे। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के बी ए एल/बी एच एल के बही खातों की संविक्षा से प्रकट हुआ कि जी आर/ए जी आर के लिए, परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ की ₹ 57.33 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि-

2017 की प्रतिवेदन संख्या 11

- यह राजस्व, पूँजीगत राजस्व की प्रकृति का था तथा यह लाइसेंस की क्रिया-कलापो से अर्जित नहीं किया गया था और इसलिए एल एफ की गणना के लिए ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- जी आर की गणना सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों एवं लेखांकन मानकों के अनुसार की जानी चाहिए तथा प्राप्तियाँ, जो कि पूँजीगत प्रकृति की हैं, को एल एफ के लिए सम्भवतः राजस्व के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
- राजस्व से परिसम्पत्तियाँ बनायी गयी हैं जिस पर एल एफ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और जबकि परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए नुकसान को एल एफ के उद्देश्य से ए जी आर से घटाने की अनुमति नहीं है, परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ को इस प्रकार की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ के राजस्व को ए जी आर के लिए शामिल नहीं किया गया था।

बी ए एल प्रबंधन का तर्क अमान्य है क्योंकि-

- लाइसेंस अनुबंध, लाइसेंस क्रिया-कलाप एवं गैर-लाइसेंस क्रिया-कलाप में कोई भेद नहीं करता है। लाइसेंस अनुबंध में दिये गये जी आर की परिभाषा के अनुसार, जी आर में सम्बन्धित मदों में किये गये खर्चों का समायोजन किये बिना, लाइसेंसी को संग्रहीत हो रहे सभी राजस्व को शामिल करना चाहिए तथा कम्पनी वर्ष 2006-07 में ए जी आर में लिए जाने के लिए इसे शामिल कर चुकी थी।
- दिनांक 30 अगस्त 2007 का टी डी सैट का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालाय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के बाद अप्रभावी एवं शून्य हो गया है।

अतः कम्पनी के लेखा पुस्तकों में लेखांकित अचल सम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ की ₹ 57.34 करोड़ की आय को राजस्व शेयर की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल न किये जाने का परिणाम एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 4.61 करोड़ एवं ₹ 2.75 करोड़ का कम भुगतान था (अनुलग्नक-2.13)।

2.2.12 ए जी आर को ज्ञात करने के लिए बी ए एल/बी एच एल द्वारा बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को जी आर से अनियमित रूप से घटाना

यू ए एस एल अनुबंध, समायोजित सकल राजस्व की गणना के लिए जी आर से केवल तीन मदों को घटाने के लिए प्राविधानित करता है यथा, भारत में अन्य सेवा प्रदाताओं को वास्तविक रूप से भुगतान किया गया पी एस टी एन से सम्बन्धित काल चार्जेंज, वास्तविक रूप से दिया गया रोमिंग राजस्व एवं सरकार को वास्तविक रूप से भुगतान किया गया सेवाकर/बिक्रीकर।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए बी ए एल/बी एच एल द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेख की समीक्षा में प्रकट हुआ कि कम्पनी द्वारा “बट्टेखाते में डाली गयी अशोध्य ऋणों” की ₹ 1313.38 करोड़ की लेखांकित राशि, लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, ए जी आर की गणना के लिए जी आर से घटा दी गयी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि-

- अशोध्य ऋणों का आशय उस राशि से है जिसे सेवा प्रदाता, अभिदाता से वसूल नहीं करता है/संचालकों के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है और इसलिए अशोध्य ऋण ऐसा राजस्व है जो कम्पनी द्वारा वसूल नहीं किया गया है।
- ए एस-9 के अनुसार राजस्व में अपनी लेखाओं में इकाई द्वारा केवल प्राप्त किया गया और प्राप्त योग्य आर्थिक लाभ का सकल अन्तःप्रवाह शामिल होता है तथा ए एस-9 के अनुसार राजस्व को केवल तब माना जाना चाहिए जब उसका “अन्तिम संग्रहण का अनुमान किया जाना अतर्कसंगत न हो”।
- आधारभूत सिद्धांत है कि लाइसेंस फीस प्राप्त की गयी राजस्व, प्राप्त किये जाने योग्य राजस्व पर ही देय होना चाहिए और चूंकि वसूल न होने योग्य अशोध्य ऋण को बट्टेखाते में डाल दिया गया है, इसे राजस्व का भाग नहीं माना जाना चाहिए।
- 30 अगस्त 2007 के टी डी सैट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए “बट्टेखाते में डाले गये अशोध्य ऋणों” को जी आर से घटाया गया था।
- केरल एवं त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष डी ओ टी से प्राप्त मांग का विरोध किया गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किये गये अपील में लंबित है।

कम्पनी का उत्तर अमान्य है क्योंकि-

- ए जी आर की गणना के लिये जी आर से अशोध्य ऋणों को घटाये जाने के लिए लाइसेंस अनुबंध प्राविधानित नहीं करता है।
- जबकि लेखापरीक्षा ए एस-9 के अनुसार लेखांकित किये जाने पर कोई प्रश्न नहीं उठाती है, इसका तर्क है कि राजस्व की कोई राशि जो गैर-वसूली योग्य हो जाती है उसे अशोध्य ऋण के रूप में माना जाता है जो कि लाभ-हानि खाते में प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के रूप में होती है।
- दिनांक 30 अगस्त 2007 का टी डी सैट का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के बाद अप्रभावी एवं शून्य हो गया है।
- जबकि मामला केरल तथा त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन है, “बट्टेखाते में डाला गया अशोध्य ऋण” एक व्यय था और इस लिए जी आर से घटाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

अतः बट्टेखाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की ₹ 1313.38 करोड़ की राशि तथा कम्पनी द्वारा डी ओ टी को देय राजस्व शेयर की गणना के लिए ए जी आर को ज्ञात करने के लिए जी आर से घटाये जाने के फलस्वरूप एल एफ एस यू सी के क्रमशः ₹ 117.74 करोड़ तथा ₹ 72.20 करोड़ के कम भुगतान में परिणामित हुआ (अनुलग्नक-2.14)।

2.2.13 एस यू सी के भुगतान हेतु ए जी आर की गणना के लिए बैंडविड्थ की बिक्री/लीज से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना

यू ए एस एल अनुबंध के क्लाज 20.4 में सन्दर्भित अपेन्डिक्स II के अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व की विवरणी तथा लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरणी) का प्रारूप, लाइसेंस अनुबंध का एक अभिन्न भाग है। विवरणी में मद 1 अ “वायरलाइन ग्राहको से राजस्व” को दर्शाने के लिए निर्धारित किया गया है तथा मद 8 “बैंडविड्थ की बिक्री/लीज, लिंक, आर एण्ड जी मामलों, टर्नकी परियोजनाएं इत्यादि से राजस्व” को दर्शाने के लिए निर्धारित किया गया है।

स्पेक्ट्रम यूसेस चार्ज (एस यू सी) हेतु ए जी आर की गणना के लिए वायरलाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में लाइसेंस फीस की गणना हेतु बैंडविड्थ/लिंक की बिक्री से ₹ 1577.42 करोड़ का राजस्व लिया गया था लेकिन स्पेक्ट्रम यूसेज चार्च की गणना हेतु नहीं लिया गया जो लाइसेंस अनुबंध के प्राविधानो से विचलन था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि डी ओ टी ने एक सिद्धांत बनाया है जिसके अनुसार वायर लाइन राजस्व पर कोई स्पेक्ट्रम प्रभार नहीं लगाया जायेगा। आगे, यह भी कहा गया कि लाइसेंस अनुबंध के ए जी आर विवरणी के प्रारूप में सामान्य राजस्व मदों को बांटने में एक विसंगति है क्योंकि सम्बन्धित ग्रुप में वायर लाइन एवं वायरलेस का अलग सब ग्रुप नहीं रखा गया है।

प्रबन्धन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि यू ए एस एल अनुबंध क्लाज 18.3 के अनुसार स्पेक्ट्रम प्रभार के लिए केवल वायर लाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को ही हटाना है। जैसा कि ए जी आर विवरणी में दिया गया है, वायर लाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व मद 1अ में रखा गया है तथा बैंडविड्थ की बिक्री/लीज लिंक, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाएं इत्यादि से प्राप्त राजस्व मद 8 में रखा गया है। अतः बैंडविड्थ की बिक्री/लीज से प्राप्त राजस्व वायर लाइन ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से भिन्न है। इस प्रकार, उपरोक्त राजस्व को भी स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

अतः बैंडविड्थ की बिक्री/लीज, लिंक इत्यादि से प्राप्त राजस्व की राशि ₹ 1577.42 करोड़ को एस यू सी की गणना के लिए ए जी आर में वापस जोड़ा जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, कम्पनी के द्वारा कथित राजस्व पर एस यू सी की ₹ 92.56 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-2.15)।

2.2.14 पूर्व एस बी ई एल के राजस्व को शामिल नहीं करना

सेटकॉम ब्राडबैंड इकिपमेंट लिमिटेड (एस बी ई एल) जो बी ए एल की एक सहायक कम्पनी थी, का 1 अक्टूबर 2005 से बी ए एल में विलय हो गया। विलय के वर्ष में एस बी ई एल का एक अलग लाभ-हानि लेखा एवं तुलन पत्र (बैलेंस सीट) बनाया गया तथा लाइसेंस फीस के लिए एस बी ई एल के राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2007-08 एवं अगले वर्षों के लिए पूर्व एस बी ई एल के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को लेखाबद्ध करने के लिए दो ट्रायल बैलेंस क्रमशः 321 एवं 903 संधारित किए गये हैं।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये ट्रायल बैलेंस, वित्तीय विवरणियों एवं मैपिंग की समीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में ट्रायल बैलेस संख्या 321 एवं 903 में ₹ 59.72 करोड़ की राशि बैंडविड्थ प्रभार, स्थापना प्रभार, इत्यादि के साथ ही साथ विदेशी/घरेलू कम्पनियों को

हार्डवेयर की बिक्री के नाम पर लेखाबद्ध की गयी है। तथापि, इस राजस्व को उस अवधि में किसी भी सेगमेन्ट के लिए लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए नहीं लिया गया था। चूंकि लाइसेंस अनुबंध के अन्तर्गत जी आर की परिभाषा के अनुसार उक्त राशि बी ए एल राजस्व का एक भाग है, उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- एस बी ई एल को एक अलग विधिक इकाई के रूप में निर्गमित किया गया था तथा बी ए एल में इसके विलय से पूर्व यह ऐसे क्रिया-कलापों यथा टेलीकाम/वी सैट उपकरणों के व्यापार एवं वी सैट स्थापना के लिए टर्नकी परियोजनाओं में लगी हुई थी जो टेलीकाम लाइसेंस के अन्तर्गत शासित नहीं थीं।
- बी ए एल के अन्तर्गत सेटकाम ने विलय के बाद क्रिया-कलापों को उसी तरह से जारी रखा जैसा कि विलय के पूर्व किया जा रहा था तथा बी ए एल के लेखाओं में सेटकाम के द्वारा किये जा रहे क्रिया कलापों के लिए लेखाओं को शामिल किया गया जिसके लिए लेखाओं की अलग पुस्तकें रखी जा रही थीं।
- सेटकाम के द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप, बी ए एल की इकाईयों द्वारा प्रदान की जा रही टेलीकाम सेवाओं से सम्बन्धित नहीं है।
- विलय से इकाई की संरचना बदल गयी परन्तु इसके द्वारा किये जा रहे लेन-देनों की प्रकृति नहीं बदली। ऐसे क्रियाकलाप जो लाइसेंस के क्रियाकलाप नहीं थे, विलय के बाद भी टेलीकाम सेवाओं के अन्तर्गत नहीं हो सकते हैं। अतः केवल इस कारण से कि दो कम्पनियों का विलय हो गया है इससे एक गैर टेलीकाम क्रियाकलाप, टेलीकाम क्रियाकलाप नहीं बन जाता है, और इस प्रकार इसे एल एफ के अन्तर्गत नहीं लाया जाय। विलय के बाद इसका व्यापार (जो कि गैर-टेलीकाम की प्रकृति का है) बी ए एल द्वारा किया जा रहा था। अतः कम्पनी ऐसी क्रिया-कलापों/लेन-देनों पर जो सेटकाम द्वारा किया जा रहा था, एल एफ के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- ₹ 0.32 करोड़ की राशि को हटाने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्राप्त नहीं की गयी विदेशी मुद्रा विनियम के लाभ से सम्बन्धित है।

उत्तर के सत्यानप के बाद सेटकाम द्वारा कम दर्शायी गयी राजस्व की राशि को संशोधित कर के ₹ 59.40 करोड़ कर दिया गया है। जहां तक दूसरे मुद्दे है, प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 1 अक्टूबर 2005 से पहले एस बी ई एल एक अलग विधिक इकाई थी और इसे उसके क्रियाकलाप के लिए जो मुख्य रूप से वी सैट उपकरणों से सम्बन्धित था, भारत सरकार से कोई लाइसेंस नहीं मिला था। तथापि 1 अक्टूबर 2005 से बी ए एल में इसका विलय हो गया तथा बही खातों में जो लेन-देन दर्ज किया गया वह दर्शाता है कि लेखांकित राजस्व टेलीकाम सेवाओं बैडविड्थ प्रभार, आई आर यू प्रभार, स्थापना प्रभार, डाटा सेवाएं, उपकरणों का किराया, विदेशी/घरेलू टेलीकाम कम्पनियों को हार्डवेयर की बिक्री इत्यादि से है और लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार यह आय जी आर की गणना के लिए शामिल की जानी चाहिए।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 11

₹ 59.40 करोड़ के राजस्व के गैर-समावेशन के कारण एल एफ (वी सैट) के कम भुगतान का परिणाम ₹ 3.57 करोड़ था (अनुलग्नक-2.16) ।

2.2.15 बी ए एल द्वारा अवसंरचना प्रदाता (आई पी)-1 सेवाओं के अन्तर्गत दर्ज राजस्व को राजस्व शेयर की गणना के लिए शामिल नहीं करना

बी ए एल ने टेलीकाम लाइसेंसियों को अवसंरचना सेवा यथा, डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस तथा टावर लीज/किराया/बिक्री के आधार पर प्रदान करने के लिए डी ओ टी से अवसंरचना प्रदाता 1(आई पी 1) का पंजीयन प्राप्त किया था। बी ए एल ने आइ पी 1 सेवाओं के लेन-देन को दर्ज करने के लिए अलग ट्रायल बैलेस (टी बी) बनाये। आई पी 1 के अंतर्गत दर्ज राजस्व में सेवा राजस्व, ब्याज की आय एवं अन्य आय शामिल होते हैं जो कि बी ए एल के लाभ-हानि लेखों का एक भाग है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में आई पी 1 के अन्तर्गत ₹ 1073.12 करोड़ की राशि राजस्व के रूप में दर्ज की गयी थी। उपरोक्त राशि में ₹ 0.07 करोड़ की विविध आय की राशि भी उस अवधि में सेवा राजस्व की ₹ 1073.05 करोड़ की राशि के साथ शामिल की गयी। आगे, यह भी देखा गया था कि उपरोक्त राजस्व में से ₹ 669.98 करोड़ की राशि, बी ए एल के एन एल डी सेगमेन्ट का राजस्व था।

चूंकि आई पी 1 राजस्व में शामिल किया गया एन एल डी डिविजन का राजस्व एल एफ के लिए विचारित नहीं किया जाना था, आई पी 1 सेवा के शेष राजस्व ₹ 403.14 करोड़ को एल एफ के लिए शामिल किया जाना चाहिए था जिसे कि बी ए एल द्वारा नहीं लिया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि आई पी 1 पंजीयन का लाइसेंस अनुबंध एवं उसके अन्तर्गत की जा रही क्रियाकलाप से कोई लेना-देना नहीं था। आई पी 1 पंजीयन, भारत में निगमित किसी भी कम्पनी को टेलीकाम सेवा प्रदाता को पैसिव अवसंरचना को स्थापित एवं उपलब्ध कराने के लिए अधिकार देता है तथा वर्तमान नीति के अनुसार आई पी 1 पंजीयन रखने वाली कम्पनियों पर कोई एल एफ नहीं लगाया जाता था। इन सेवाओं से हुई आय को अलग लेखांकित किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा अन्य लाइसेंस के आय से अन्तर करने के लिए अलग ट्रायल बैलेन्स बनाया गया।

लेखापरीक्षा यह स्वीकार करता है आई पी 1 राजस्व में सम्मिलित एन एल डी डिविजन के राजस्व पर एल एफ देय नहीं है परन्तु इसका मत है कि आइ एस पी डिविजन तथा अन्य आपरेटरों की आय को एन एल डी अनुबंध के अनुलग्नक-II के क्लाज 31 के अनुसार राजस्व शेयर के लिए शामिल किया जाना चाहिए। तदनुसार, एल एफ की गणना के लिए ₹ 403.14 करोड़ की राशि ए जी आर में शामिल की जानी चाहिए थी। आई पी 1 राजस्व को शामिल न किये जाने के कारण एल एफ (एन एल डी) के कम भुगतान का परिणाम ₹ 29.09 करोड़ था (अनुलग्नक-2.17)

2.2.16 एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों (पैरा 2.2.1 से 2.2.15 तक) में एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान/गैर-भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 1577.12 करोड़ एवं ₹ 1025.12 करोड़ थी। इस एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान/गैर-भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 1245.91 करोड़ है (अनुलग्नक-2.18)। ब्याज की गणना, लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित की गयी दरें जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्टेट बैंक आफ इन्डिया के प्राइम लेडिंग रेट से 2 प्रतिशत अधिक थी, पर आधारित थी तथा विचारित अवधि

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस अनुबंध के अनुसार ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर है।

2.3 राजस्व एवं लाइसेंस फीस के विवरणी में प्रकटीकरण (ए जी आर विवरणी)

यू ए एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III में लाइसेंस के निश्चित क्रियाकलाप से प्राप्त राजस्व को लाइसेंसी द्वारा मान्यता दिये जाने के लिए अलग से एवं विशिष्ट मानक का वर्णन किया गया है। मानक विनिर्दिष्ट करते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों/राजस्व एवं लाइसेंस फीस की विवरणी में निम्नलिखित दिखाये जायें:

- छूट/रिबेट के दर्शाये गये अलग-अलग विवरण के साथ सकल राजस्व (बिल योग्य राशि/सेवा से) तथा साथ ही,
- मदवार ऐसी आय का विवरण जिसे सम्बन्धित खर्च से समायोजित कर दिया गया है।
- संग्रहीत राजस्व की ऐसी श्रेणी जिसकी राशि कुल संग्रहीत राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक है, उसे अलग से दिखाया जायेगा तथा किसी अन्य मद में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- बिल किया गया, प्राप्त किया गया तथा सरकार को जमा किया गया सेवाकर अलग से दिखाया जायेगा।
- बिल किया गया, प्राप्त किया गया तथा सरकार को जमा किया गया बिक्रीकर अलग से दिखाया जायेगा।
- ब्याज की आय एवं लाभांश को बिना सम्बन्धित खर्च के समायोजन के लाभ-हानि लेखों में आय के अन्तर्गत अलग से दिखाया जायेगा।

बी ए एल/बी एच एल की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करते समय उपरोक्त मानकों में से कुछ का विचार नहीं किया गया था। जैसा की प्रतिवेदन में दर्शाया गया है राजस्व को कम दिखाये जाने के उदाहरणों से यह निश्चित होता है कि बी ए एल/बी एच एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान के लिए निश्चित किया गया राजस्व पूरी तरह से लाइसेंस की शर्तों के अनुसार नहीं था, न ही लेखाओं को तैयार किया जाने में पूरी तरह से डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया गया था। दोनों इकाइयों के वार्षिक लेखाओं में यद्यपि डी ओ टी द्वारा निर्देशित सूचनाओं को समान्यतया दिया जा रहा था परन्तु ए जी आर विवरणी के साथ प्रस्तुत वार्षिक लेखाओं में महत्वपूर्ण डाटा जो राजस्व के भुगतान के लिए कम्पनी द्वारा निश्चित किए गए सही राजस्व को प्रभावित करता है, नहीं दिया जा रहा था। उदाहरणार्थ सकल राजस्व के साथ छूट/रिबेट के विवरण को अलग से दिखाया जाना, घरेलू तथा बाहरी ग्राहकों के लिए कुल एयरटाइम यूनिट्स का विवरण, बिल न किये जाने वाले नम्बर जिसे अलग से दिखाया जाना था तथा खर्च में क्रेडिट जो ए जी आर की शुद्धता को प्रभावित करती है, इत्यादि को वार्षिक लेखाओं में नहीं दिखाया गया। यद्यपि कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने हमेशा ही यह सत्यापित किया कि लाइसेंस अनुबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों/मानकों के अनुसार लेखों को तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने कहा कि उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा किया गया है क्योंकि वे या तो बिलिंग प्रणाली, बही खातों में उपलब्ध है या उनके वार्षिक वित्तीय विवरणियों/बैलेन्स सीट में दर्शाये गये हैं। जबकि प्रबंधन ने उत्तर दिया कि किसी भी आय के मद को

2017 की प्रतिवेदन संख्या 11

उसके सम्बन्धित खर्च से समायोजित नहीं किया गया है, यह पाया गया कि कमीशन/मार्जिन/आफर्स, अवसंरचना के साझा करने इत्यादि के मामलों में राजस्व को खर्च से समायोजित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को कम दिखाया गया।

प्रबंधन ने भी स्वीकार किया कि घरेलू ग्राहकों के बाह्य नेटवर्क के लिए संग्रहीत रोमिंग एयरटाइम प्रभार, घरेलू तथा बाहरी ग्राहकों के लिए कुल एयरटाइम यूनिट्स एवं बिल न किये गये नम्बर, रोके तथा भुगतान किये गये रोमिंग कमीशन (नेटवर्क के अनुसार) को इस तथ्य के कारण कि या तो वे गैर वित्तीय डाटा (एयरटाइम यूनिट्स) हैं या वे सीधे नहीं निकाले जा सके, नहीं दिखाया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा न किये जाने के बावजूद भी डी ओ टी ने उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करने के लिए कभी जोर नहीं दिया। लेखापरीक्षा का यह मत है कि डी ओ टी द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रकटीकरण ऐजेन्सियों को जिन्हें लाइसेंसी कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित किये गये जी आर की शुद्धता को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, सत्यापन प्रक्रिया की पूर्णता निश्चित करने में सुविधा देते।

2.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर डी ओ टी/बी ए एल की प्रतिक्रिया

बी ए एल द्वारा भुगतान योग्य राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को अगस्त 2016 में डी ओ टी एवं बी ए एल को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था। बी ए एल ने एक बार पुनः परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर दिये गये उत्तर (सितम्बर 2016) को दोहराया।

डी ओ टी ने कहा (फरवरी 2017) कि :

- 2002-03 में टी एस पी द्वारा जी आर/ए जी आर की परिभाषा को चुनौती दी गई थी। तबसे दीर्घकालिक मुकदमेबाजी हो रही है और अभी भी जारी है।
- डीओटी, टीएसपी के विरुद्ध वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया है और एस सी के आदेशों के अनुसार विभाग को लाईसेंस अनुबन्ध की अपनी समझ के अनुसार टी एस पी को डिमान्ड जारी करने की अनुमति मिली हुई थी।
- सी ए जी द्वारा बताए गए अंतिम आकड़ों, लाईसेंस अनुबन्धों के अनुसार तथा डी ओ टी के नीतिगत निर्णयों के आधार पर डिमान्ड जारी की जाएगी।

डी ओ टी की प्रतिक्रिया साबित करती है कि यद्यपि राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था एन टी पी-1999 के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी, विभाग इस व्यवस्था के लागू होने के 17 वर्षों के बाद भी अपना देय राजस्व अंश, जैसा लाईसेंस अनुबन्ध में उल्लेखित है, वसूल नहीं कर सका है।

यहां यह उल्लेख करना सुसंगत है कि जब सरकार ने, अप्रैल 2004 से प्रभावी, एल एफ की दर को दो प्रतिशत से समस्त आपरेटरों के लिए कम करने का निर्णय लिया, डी ओ टी ने यह अपेक्षा की थी कि ऐसी कमी आपरेटरों को सरकार के विरुद्ध चुनौतियों को वापस लेने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, एल एफ में की गई कमी का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ और आपरेटरों ने जी आर/ए जी आर की परिभाषा एवं डिमान्ड नोट्स को चुनौती देते हुए सरकार के विरुद्ध मुकदमेबाजी करना जारी रखा। इस प्रकार पी एस पी ने एल एफ की दर में छूट का लाभ उठाया परन्तु सरकार को इसके बदले में मुकदमेबाजी में अपेक्षित कमी का लाभ नहीं मिला।